ऑन लाईन नं.GCMS2023/243

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 94/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री विजय गोयल पुत्र श्री दुर्गादास गोयल (विक्रेता व मालिक)
   मै0 गोयल गृह संग्रह, हाउसिंग बोर्ड चौंक तिलक नगर, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : **22.12.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांकः- आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है।

श्रीमान् आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमूनों के प्रकरणों की अभियोजन समयसीमा बढाने एवं मान्य न्यायालय में केस लगाने की स्वीकृति प्रदान हेतु आदेशित किया गया है। आवेदक श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वाक्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने श्रीमान अभिहीत अधिकारी गंगानगर से उनके पत्र क्रमांक 3096 दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर परिवाद मा. न्यायालय में पेश किया।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.02.2022 को समय दोपहर पूर्व 10.30 बजे मै. गोयल गृह संग्रह, हाउसिंग बोर्ड चौंक तिलक नगर, जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता की हैसियत से श्री विजय गोयल पुत्र श्री दुर्गादास गोयल को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **नमकीन पंजाबी आटा बिस्कुट (बिस्को हनी ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने दुकान के अन्दर रैक में 350 ग्राम के 20 पैकेट **नमकीन पंजाबी आटा बिस्कुट (बिस्को हनी ब्राण्ड)** को आमजन बेचान हेतु बताया। दुकान में रखे **नमकीन पंजाबी आटा बिस्कुट (बिस्को हनी ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **नमकीन पंजाबी आटा बिस्कुट (बिस्को हनी ब्राण्ड)** का नमुना विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रय हेतु उपलब्ध **नमकीन पंजाबी आटा बिस्कुट (बिस्को हनी ब्राण्ड) 350 ग्राम के 4 पैकेट** विक्रेता से खरीद किया तथा मौके पर ही विक्रेता को उक्त क्रयशुदा खोया का नगद भुगतान 240 रूपये किया तथा केशमिमो बनवाया, जिस पर विक्रेता, गवाहान और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

Agr

ऑन लाईन नं.GCMS2023/243

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विजय गोयल पुत्र श्री दुर्गादास गोयल एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक श्री विजय गोयल पुत्र श्री दुर्गादास गोयल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नमकीन पंजाबी आटा बिस्कुट (बिस्को हनी ब्राण्ड) 350 ग्राम के** चारों मूल पैकेटों पर लैबल तैयार का चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1362** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप नं.के–1362** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विजय गोयल पुत्र श्री दुर्गादास गोयल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–: एलएस / 232 / एक्ट / 2022 / 232 दिनांक 22.02.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1362 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री** विजय गोयल पुत्र श्री दुर्गादास गोयल **मैसर्स** गोयल गृह संग्रह, हाउसिंग बोर्ड चौक तिलक नगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का **नमकीन पंजाबी आटा बिस्कुट (बिस्को हनी ब्राण्ड)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) / 52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

ऑन लाईन नं.GCMS2023/243

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :—

1. यह कि दिनांक 09.02.2022 को प्रार्थी की दुकान से कोई भी वस्तु जब्त नहीं की गयी थी ना ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी, द्वारा बिस्कुट के पैकेट जब्त किये थे।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ बिस्कुट (डीस्को हनी ब्राण्ड) का कोई भी स्टोक नहीं रखा हुआ था।
3. यह कि प्रार्थी के हस्ताक्षर केवल मात्र जांच के आधार पर करवाये गये थे और प्रार्थी को बिस्कुट जब्त करने के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं दी गयी थी। प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर खाद्य पदार्थ बिस्कुट (डीस्को हनी ब्राण्ड) नहीं बेचा जा रहा था। प्रार्थी द्वारा दुकान पर जो भी सामान विक्रय किया जाता है वह बाजार से मय बिल खरीद किया जाता है तथा सरकार के मानकों के तहत ही खरीद किया जाता है और विक्रय किया जाता है। प्रार्थी के जांच अधिकारी द्वारा खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर गलत नोटिस प्रेषित किया गया है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध जारी किये गये नोटिस की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **नमकीन पंजाबी आटा बिस्कुट (बिस्को हनी ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1362** जांच रिपोर्ट क्रमांक :—: एलएस/232/एक्ट/2022/232 दिनांक 22.02.2022 अनुसार खाद्य नमूना **K-1623 Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 09.02.2022 को प्रार्थी की दुकान से कोई भी वस्तु जब्त नहीं की गयी थी ना ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी, द्वारा बिस्कुट के पैकेट जब्त किये थे। प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ बिस्कुट (डीस्को हनी ब्राण्ड) का कोई भी स्टोक नहीं रखा हुआ था। प्रार्थी के हस्ताक्षर केवल मात्र जांच के आधार पर करवाये गये थे और प्रार्थी को बिस्कुट जब्त करने के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं दी गयी थी। प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर खाद्य पदार्थ बिस्कुट (डीस्को हनी ब्राण्ड) नहीं बेचा जा रहा था। प्रार्थी द्वारा दुकान पर जो भी सामान विक्रय किया जाता है वह बाजार से मय बिल खरीद किया जाता है तथा सरकार के मानकों के तहत ही खरीद किया जाता है और विक्रय किया जाता है। प्रार्थी के जांच अधिकारी द्वारा खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर गलत नोटिस प्रेषित किया गया है। लिहाजा प्रार्थी के विरूद्ध जारी किये गये नोटिस की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Namkeen Punjabi Atta Biscuit (Biscuit Honey Brand)" bearing Code No and Sr. No. K-1362, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food safety and Standards Act-2006** जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री** विजय गोयल पुत्र श्री दुर्गादास गोयल एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री** विजय गोयल पुत्र श्री दुर्गादास गोयल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000--00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।